भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-424
बुधवार, 20 नवम्बर, 2019/29 कार्तिक, 1941 (शक)

नौकरी के अवसरों के लिए श्रम सघन विनिर्माण
को बढ़ावा देना

424. श्री विजय पाल सिंह तोमरः
श्री हरनाथ सिंह यादवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कार्यनीतिक रूप से श्रम सघन विनिर्माण को बढ़ावा देने और कृषि और पर्यटन के क्षेत्रों को बढ़ावा देकर इन पर आधारित उद्योगों में नौकरी के अवसरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष और आगामी तीन वर्षों में कृषि और पर्यटन आधारित उद्योगों को स्थापित करने/बढ़ावा देने की राज्य-वार क्या योजना है तथा इन क्षेत्रों में राज्य-वार कितने व्यक्तियों का नियोजन प्रस्तावित है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): सरकार कार्यानीतिक रूप से श्रम-सधन विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है तथा पर्यटन एवं कृषि-आधारित उद्योगों में रोजगार अवसरों के विस्तार कर रही है।

सरकार ने उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की हैं जो कृषि क्षेत्र को और अधिक व्यवहार्य बनाती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

एएसपीआईआरई (नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता के संवर्द्धन के लिए योजना) कृषि-उद्योग में उद्यमशीलता को तेजी से बढ़ाने के लिए औद्योगिक केंद्रों के नेटवर्क तथा उद्भवन केंद्रों की स्थापना के लिए प्रारंभ की गई थी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) की एएसपीआईआरई योजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्ति कृषि-उद्यमी बन सकते हैं तथा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), जिसके तहत बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा 15-35% तक राज-सहायता प्रदान की जाती है, सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति संबंधित उद्योग में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं अथवा आगे उच्चतर कौशल/प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की दो योजनाएं हैं। ये हैं:

(i) घरेलु पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आतिथ्य सहित घरेलू संवर्द्धन एवं प्रचार।

(ii) विदेशी बाजारों में भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विपणन विकास सहायता सहित विदेशी संवर्द्धन एवं प्रचार की पुनर्गठित योजना।

इन योजनाओं के तहत, पर्यटन मंत्रालय देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपने चल-रहे कार्यकलापों के अंग के रूप में अतुल्य भारत ब्रांड-लाइन के तहत अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू बाजारों में वार्षिक रूप से प्रिंट, इलैक्ट्रोनिक, ऑनलाइन एवं आउटडोर मीडिया अभियानों को रिलीज करता है। सोशल मीडिया एवं मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से भी बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत तथा विदेशों में भारतीय पर्यटन कार्यालय देश के विविध पर्यटन स्थलों एवं उत्पादों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सूचना का प्रसार करते हैं तथा बढ़ावा देने वाले अनेक कार्यकलाप करते हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने देश में आखिरी मील की संबद्धता सहित पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु विषय-आधारित पर्यटन दौरों के एकीकृत विकास हेतु स्वदेश दर्शन योजना भी आरंभ की है। देश में ग्रामीण पर्यटन की संभाव्यता को पहचानते हुए, मंत्रालय ने इस योजना के तहत ग्रामीण दौरे को विकास हेतु चिन्हित विषयगत दौरों में से एक के रूप में चिन्हित किया है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु बल गुणक के रूप पर्यटन को बल देना तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय-दोनों पर्यटकों को देश के ग्रामीण पहलू की झलक प्रदान करने हेतु लक्षित है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति रोजगार गहन उद्योगों जैसे वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा एवं जूता, रत्न एवं आभूषण तथा खाद्य प्रसंस्करण आदि को विशेष संकेन्द्रण वरीयता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करती है। नीति लघु पैमाने के उद्योगों पर विशेष ध्यान प्रदान करती है क्योंकि वे स्व-रोजगार एवं विविध भूगोलों दोनों में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

*****